

प्रेस-विज्ञापिथाना-निजामाबादगौवंशी पशुओं का वध करके मांस बेचने वाले एक अभियुक्त व एक अभियुक्ता को 1 क्विंटल 55 किग्रा 100 ग्राम गोमांस, मांस काटने व तौलने के उपकरण सहित किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, गोमांश तस्करी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 17.02.2021 को उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि शेखपुरा हुसामपुर गाव में अयूब उर्फ बाना पुत्र नोखे अहमद अपने घर में गाय काटकर भारी मात्रा में उसका मांस बेच रहे हैं। मुखबिर की इस सूचना पर उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के ग्राम शेखपुरा हुसामपुर पहुंच कर अयूब के घर के अन्दर जाकर देखा कि घर में मौजूद एक व्यक्ति व महिला गौमांस व गोवंश को काटने व तौलने के उपकरण के साथ मौजूद है। पुलिस बल को घर के अन्दर अचानक देखकर दोनों लोग भागने का प्रयास किये परन्तु पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेरकर दोनों लोगों को समय 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अयूब उर्फ बाना पुत्र नोखे अहमद निवासी शेखपुरा हुसामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया व म0का0 द्वारा महिला अभियुक्ता से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम मुस्तरी पत्नी अयूब निवासी शेखपुरा हुसामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर अभियुक्त/अभियुक्ता के कब्जे से भारी मात्रा में गौमांस, सिर, खाल तथा मांस काटने व तौलने के उपकरण ( 2 अदद बाका, 4 अदद छोटी बड़ी चाकू, एक अदद लोहे की रेती, एक तराजू, 02 एक-एक किलोग्राम के बाट ) बरामद हुआ। बरामदशुदा माल के सिलसिले विधिक कार्यवाही हेतु पशु चिकित्साधिकारी को लिखित सूचना देकर नमूना तैयार कर शेष गोमांश को जे0सी0बी0 से एक गद्दें में दबवाया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 35/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना निजामाबाद आजमगढ़

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता

1. अभि0 अयूब उर्फ बाना पुत्र नोखे अहमद निवासी शेखपुरा हुसामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. अभियुक्ता मुस्तरी पत्नी अयूब निवासी शेखपुरा हुसामपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी

1. गोमांस- एक क्विंटल, 55 किग्रा 100 ग्राम।
2. मांस काटने व तौलने के उपकरण - दो अदद बाका, चार अदद छोटी बड़ी चाकू, एक अदद लोहे की रेती, एक तराजू, दो एक-एक किलोग्राम के बाट।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 रत्नेश कुमार दूबे थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 अरविन्द यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. का0 मकरध्वज थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
3. का0 शुभम चौधरी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
4. का0 अभिषेक चौधरी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 पूनम देवी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना-निजामाबाद

#### चोरी के अभियोग में 01 नफर अभियुक्त मय चोरी के माल के गिरफ्तार

दिनांक 17.02.2021 को श्री दिवाकर तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के घर से रात्रि लगभग 02 बजे हुये चोरी के सम्बंध में अभियुक्त दुर्गेश तिवारी पुत्र मंगला प्रसाद तिवारी साकिन रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 17.02.2021 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/21 धारा-457,380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं थाना स्थानीय पर दर्ज चोरी के मुकदमें के अनावरण हेतु निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व0उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की मु0अ0सं0 36/21 में नामजद अभियुक्त दुर्गेश तिवारी पुत्र मंगला प्रसाद तिवारी डोडोपुर बाजार में मौजूद है। कही जाने के फिराक में खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराह द्वारा डोडोपुर बाजार पहुंच कर अभियुक्त दुर्गेश तिवारी उपरोक्त को पकड़कर जामा तलाशी ली गई जिससे चोरी गये 2000/- रु व उसके निशानदेही पर अन्य चोरी गई सामान- 01 अदद अंगूठी पीली धातु ,01 अदद सिक्का सफेद धातु , 01 अदद अंगूठी व बिछिया सफेद धातु व LIC के कागजात व बैंक पासबुक को बरामद कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 36/21 धारा-457,380 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

दुर्गेश तिवारी पुत्र मंगला प्रसाद तिवारी साकिन रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी

01 अदद अंगूठी पीली धातु ,01 अदद सिक्का सफेद धातु ,01 अदद अंगूठी व बिछिया सफेद धातु , 2000/- रुपये ,LIC के कागजात व बैंक पासबुक

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. हे0का0 अनिल कुमार मिश्रा थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. हे0का0 अरबिन्द यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़

## प्रेस-विज्ञप्ति

### थाना-गम्भीरपुर

#### अपचारी किशोर गिरफ्तार

दिनांक 30.11.2020 को मु0अ0सं0 212/20 धारा 452,354,323,506 भादवि थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ बनाम 1.विजय पुत्र रामकेश ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ , 2.गब्बू उर्फ आजाद पुत्र सुहेल ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय आजमगढ़ को पंजीकृत किया गया था अभियोग उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभि0 विजय पुत्र रामकेश ग्राम संजरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 376 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए अभि0 गब्बू उर्फ आजाद पुत्र सुहेल ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया के नेतृत्व में उ0नि0 सतीश कुमार यादव मय हमराह सुरेश कुमार के मुखबिर खास की सूचना पर मुहम्मदपुर तिराहे से वांछित चल रहे अभि0 गब्बू उर्फ आजाद पुत्र सुहेल ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय आजमगढ़ को आज दिनांक 11.02.2021 को समय करीब 10.30 बजे माननीय उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकारी आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 212/20 धारा 452,354,323,506 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 212/20 धारा 452,354,323,506,376 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 115/17 धारा 376क, 506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 SC/ST ACT थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त – अभि0 गब्बू उर्फ आजाद पुत्र सुहेल ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सतीश कुमार यादव व का0 सुरेश कुमार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

**थाना तरवां**  
**हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना तरवां श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह SSI श्री संजय कुमार मय मु0अ0सं0 151/2020 धारा 302/34/120 B IPC थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से सम्बंधित प्रकाश में आया अभियुक्त जामवन्त यादव उर्फ जमुना पुत्र अछैबर यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान में आजमगढ़ जिला कारागार में निरूद्ध है का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ द्वारा आदेश अनुपालन क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त जामवन्त यादव उपरोक्त के 161 द0प्र0सं0 के बयान में जुर्म इकबालिया एवं आला कत्ल बरामद कराने के दृष्टिगत दिनांक 18.02.2021 को 08 घंटे समय प्रात : 09.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक का वास्ते साक्ष्य संकलन /बरामद करने आला कत्ल प्रदान करने के आदेश के अनुपालन में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अभि0 जामवन्त यादव उपरोक्त को नियमुनासार समय 9.00 बजे बाहर निकालकर बहद ग्राम रसड़ा स्थित खंडहरनुमा स्कूल के पास से पालीथीन में लिपटा हुआ एक अदद तमंचा देशी .315 बोर निकालकर दिया तथा बताया कि साहब इसी तमंचे से मैने अपने साथी धीरज यादव से मिलकर मैने गोली मारकर 27.09.2020 को दोपहर में सखरज यादव पुत्र स्व0 अभिराज यादव निवासी मौलानीपुर की हत्या की थी । थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय का गया।

**पूछताछ का विवरण - अभि0 जामवन्त यादव पुत्र अछैबर यादव सा0 सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ जुर्म स्वीकार करते हुये** बताया कि साहब इसी तमंचे से मैने अपने साथी धीरज यादव से मिलकर मैने गोली मारकर 27.09.2020 को दोपहर में सखरज यादव पुत्र स्व0 अभिराज यादव निवासी मौलानीपुर की हत्या की थी , यह मेरा प्रिय असलहा है । इसी असलहे (तमंचे) से मैने दि0 31.12.2020 की रात्रि में अपने पड़ोसी सुभाष यादव को जान से मारने की नियत से गोली चलायी थी, जो बच गया । उस रात्रि पुलिस के डर के कारण भागते हुए मैने यह तमंचा इसी श्री शंकर जी जूनियर हाईस्कूल बहद ग्राम रसड़ा में छिपाकर रखकर भाग गया था।

**पंजीकृत अभियोग -** मु.अ.स. 18/2021 धारा 3/25 A ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।

**गिरफ्तार अभियुक्त- 1. जामवन्त यादव पुत्र अछैबर यादव सा0 सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष**

**बरामदगी -** एक अदद तमंचा .315 बोर आला कत्ल बरामद हुआ ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1- प्रभारी निरीक्षक थाना तरवां श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह , मय हमराह SSI श्री संजय कुमार, का0 अनुराग तिवारी व का0 धीरज यादव

**थाना- पवई**  
**दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 18.02.2021 को प्रभारी उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह के अपराध एवं अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे मु0अ0सं0 20/2021 धारा 376/506भादवि के नामजद अभियुक्त अरुण कुमार यादव उर्फ अप्पू यादव पुत्र राजपति यादव उर्फ मेघई साकिन बागबहार मूडकटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ को मुखबीर खास की सूचना पर खेमीपुर चौराहा वहद ग्राम खेमीपुर पर दबिश देकर समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । पूछताछ पर अभियुक्त अरुण कुमार यादव उर्फ अप्पू यादव पुत्र राजपति यादव उर्फ मेघई साकिन बागबहार मूडकटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ अपने जुर्म को स्वीकार करते हुये अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बता रहे है ।